(209)

संख्या– 1275/VI-2/2011–73(2)2011

प्रेषक,

एन0एस0नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
संस्कृति निदेशालय,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

संस्कृति, पर्यटन एवं खेलकूद अनुभाग–2 देहरादूनः दिनांकः 25 नवम्बर, 2011

विषयः– 1957 स्वतंत्रता संग्राम के शहीद वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली के जीवन पर लघु वीडियों फिल्म के निर्माण हेतु वित्तीय सहायता दिये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2053/सं0नि0उ0/चार–159/201–12 दिनांक 19 अक्टूबर, 2011 तथा शासनादेश संख्या–422/VI-2/2011–71(6)2011 दिनांक 25 अप्रैल, 2011 एवं शासनादेश संख्या–734/VI-2/2011–71(6)2011 दिनांक 1–8–2011 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय अध्यक्ष, लोक रंग संस्था, देहरादून को स्वतंत्रता संग्राम के शहीद वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली के जीवन पर लघु वीडियों फिल्म के निर्माण हेतु "संस्कृति के विभिन्न आयामों का ऑडियों एवं विडियों अभिलेखीकरण" के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2011–12 हेतु प्राविधानित धनराशि ₹ 15.00 लाख में से ₹ 3.00 लाख (₹ तीन लाख) मात्र की धनराशि निम्नानुसार व्यय किये जाने पर निम्न शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैंः–

2– उक्त धनराशि शासनादेश संख्या–09/VI-2/2011–72(6)/2010 दि0 22 मार्च, 2011 के द्वारा निर्धारित मानक पूर्ण होने पर ही आहरित की जायेगी। धनराशि का आहरण/व्यय उक्त दिशा–निर्देश के अनुरूप ही किया जायेगा।

3– उक्त स्वीकृत धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ स्वीकृत की जाती है कि मितव्ययी मदों में आवंटित सीमा तक ही सीमित रखा जाय, साथ ही जिन मदों के लिए बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने के पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। ऐसा व्यय करने से पूर्व शासन/सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति भी अनिवार्य रूप से प्राप्त कर ली जाय। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है। व्यय करते समय मितव्ययता के सम्बन्ध में समय–समय पर जारी किये गये शासनादेशों में निहित निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

4– वित्तीय हस्त पुस्तिका (खण्ड–5) भाग–1 के अध्याय 16–क–अनुच्छेद 369 के सुसंगत

.....(2)

प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा तथा धनराशि तभी प्रदान की जाये जब सम्बन्धित द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुपालन का शपथ पत्र प्रदान किया जाये।

5— उक्त धनराशि उन्हीं मदों पर व्यय की जाय, जिन मदों हेतु स्वीकृत की जा रही है। अन्य किसी मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

6— इस संस्था द्वारा किये जाने वाले कार्यों/प्रोजेक्ट की हार्ड व साफ्ट प्रतियॉ जैसा लागू है, में पांच प्रतियों में संस्कृति विभाग को अभिलेखों के रूप में उपलब्ध करायेंगे।

7— उक्त धनराशि का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण—पत्र निर्धारित प्रारूप पर मदवार व्यय शासन को उपरोक्त साक्ष्य के साथ आवश्य उपलब्ध कराया जायेगा।

8— संस्था को उक्त धनराशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि संस्था इसी कार्यक्रम के लिए उत्तराखण्ड शासन के किसी अन्य विभाग/भारत सरकार से अनुदान प्राप्त नहीं करेगी।

9— इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2011—12 के अनुदान संख्या—11 के लेखाशीर्षक —2205—कला एवं संस्कृति—00—102—कला एवं संस्कृति का संवर्द्धन—36 संस्कृति के विभिन्न आयामों का ऑडियों एवं विडियों अभिलेखीकरण—00—20—सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता मानक मद के आयोजनागत पक्ष के नामे डाला जायेगा।

10— उपरोक्त आदेश वित्त विभाग के अ0शा0पत्र संख्या—255(पी)/XXVII(3)/2011—12 दिनांक 21, नवम्बर, 2011 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(एन0एस0नेगी)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या— 1275/VI-2/2011—73(2)2011 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, सहारनपुर रोड़, देहरादून।
2— वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
3— निजी सचिव, मा0 संस्कृति मंत्री, उत्तराखण्ड शासन।
4— वित्त अनुभाग—3, उत्तराखण्ड शासन।
5— बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय, उत्तराखण्ड।
6— [illegible] आई0सी0 [illegible], देहरादून।
7— सम्बन्धित संस्था।
8— गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्याम सिंह)
अनुसचिव।